31-3-16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1233-चार/08 विरूध्द आदेश दिनांक 22/9/2008 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 822/अपील/05-06.

रामसुख गुप्ता तनय दुलारे गुप्ता, उम्र 65 वर्ष
पेशा खेती निवासी ग्राम कर्थुआ तहसील चितरंगी
जिला सीधी म0 प्र0

- आवेदक

- विरूध्द -

1 रामजी हलवाई तनय कन्हैयालाल हलवाई,
उम्र 70 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी कर्थुआ तहसील चितरंगी
जिला सीधी म0 प्र0

2 मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर सीधी

- अनावेदकगण

श्री के0 के0 व्दिवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 एस0 धाकड, अभिभाषक,अनावेदक क्रमांक 1

निग0प्र0क्र0 1233-चार/08

आ दे श

(आज दिनांक 31/3/2016 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 1233-चार/08 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र क्र 822/अपील/05-06 में पारित आदेश दि 22-9-2008 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

अनावेदक द्वारा शासकीय भूमि स. नं. १९३, नया नं. ५०१ पर अवैध रूप से कब्ज़ा और अपना नाम दर्ज कराए जाने के बिंदु को उठाते हुए आवेदक ने तहसीलदार, चितरंगी के समक्ष यह लिखते हुए आवेदन किया कि उससे सार्वजनिक निस्तार अवरुद्ध हो रहा है अतः अनावेदक को धारा २४८ के प्रावधानों के तहत बेदखल किया जाए. तहसीलदार ने प्र क्र ३८/अ-६८/०४-०५ दर्ज करके अनावेदक द्वारा किये जा रहे निर्माण के विरुद्ध स्थगन जारी किया, पटवारी से प्रतिवेदन लिया और अनावेदक सहित उभयपक्ष को पक्ष समर्थन और तर्क का समुचित अवसर दिया. इनके प्रकाश में तहसीलदार ने आदेश पत्रिका पर पारित आदेश दि २४-८-०५ से यह आधार लेते हुए कि कम्प्यूटर जनित खसरा प्रति में उक्त भूमि पर म प्र शासन का नाम ही दर्ज है यह निष्कर्ष निकाला कि वर्ष २००१ में पटवारी ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से अनावेदक का नाम दर्ज किया है जिसे म प्र भू रा संहिता की धारा ११५ के तहत विलोपित करते हुए पूर्ववत म प्र शासन दर्ज किया जाने का आदेश पारित किया और निर्देश दिए कि पटवारी खसरे में सुधार करें, दोषी पटवारी के विरुद्ध प्रस्ताव अनु अधि को भेजा जाए, तथा उक्त शासकीय भूमि पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनके विरुद्ध धारा २४८ में पटवारी रिपोर्ट

प्रस्तुत करें. इसके अगले ही दिन अनावेदक के अधिवक्ता ने तहसीलदार के समक्ष धारा ३२ के तहत आवेदन दिया, जिसे दिन २५-८-०५ को तहसीलदार ने इन निष्कर्षों के साथ निरस्त किया कि अनावेदक ने अपने समर्थन में राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज होने के आधारस्वरूप कोई सक्षम आदेश नहीं प्रस्तुत किया, ना.तह. द्वारा व्यवस्थापन के कथित पट्टे का अभिलेख उनके समक्ष उस दिनांक तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, पट्टा प्रदाय के समय की पटवारी रिपोर्ट में पटवारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, और अनावेदक ने स्थगन आदेश के बावजूद विषयांकित निर्माण कार्य नहीं रोका है.

इसके विरुद्ध अनावेदक द्वारा अनु अधि, देवसर/चितरंगी के समक्ष अपील की गई, जहाँ प्र क्र २४०/अपील/०४-०५ में पारित आदेश दि २८-६-०६ से अपील निरस्त हुई.

इसके विरुद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, रीवा के संख अपील की जहाँ आक्षेपित आदेश से अपील स्वीकार हुई, जिसके विरुद्ध रा मं में यह निगरानी दायर हुई.

३] मैंने प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया.

आवेदक अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों और निगरानी मेमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए यह तर्क किये कि (१) दो अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं, (२) शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई भी आवेदन दे सकता है क्योंकि उससे सभी का हित जुडा होता है, (३) अनावेदक के कथित पट्टे के सम्बन्ध कोई सक्षम प्रमाण या आदेश तह. या अनु अधि के समक्ष अनावेदक ने प्रस्तुत

नहीं किया जिसे उन्होंने अपने आदेशों में भी लिखा है, और (४) वाद भूमि राजमार्ग के निकट की मूल्यवान और सार्वजनिक उपयोग की भूमि है.

अनावेदक अधिवक्ता के तर्क थे कि (१) उन्हें उक्त भूमि पट्टे में प्राप्त हुई थी, (२) तहसीलदार ने उन्हें पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया, (३) आवेदक का इस सम्बन्ध में कोई हित नहीं जुड़ा है इसलिए उसे आवेदन करने का अधिकार नहीं है, (४) आवेदक द्वारा धारा २४८ के अधीन आवेदन किया जाने पर तहसीलदार को धारा ११५ में आदेश नहीं पारित करना चाहिए था, और (५) धारा ११५ में आदेश पारित करने के पूर्व अभिलेख की कौनसी त्रुटि को सुधारा जा रहा है इसका स्पष्टतः खुलासा किया जाना चाहिए था.

आवेदक अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में कहा कि (१) धारा २४८ की कार्यवाही केवल उनके आवेदन पर नहीं हुई, पटवारी रिपोर्ट भी उसके सम्बन्ध में स्पष्ट है, (२) तहसीलदार ने अनावेदक को पर्याप्त अवसर दिया था, (३) पट्टे के सम्बन्ध कोई अभिलेख अनावेदक ने तहसीलदार या अनु अधि के समक्ष नहीं दिए हैं, और (४) यदि आवेदक ने धारा गलत लिख भी दि थी तो ना तो उससे प्रकरण का स्वरुप बदलता है और ना ही उससे न्याय के उद्देश्य विफल होने दिए जाने चाहियें.

४] प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में और अभिलेख के परिशीलन के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि तहसीलदार एवं अनु अधि के समक्ष अनावेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर मिला था, जिसके बावजूद उसने वाद भूमि पर उसे व्यवस्थापन में पट्टा मिला होने के समर्थन में कोई सक्षम आदेश और ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये. दूसरी ओर पटवारी प्रतिवेदन और राजस्व अभिलेख के सम्बन्ध में इन दोनों

न्यायालयों द्वारा की गई विवेचना से यह स्पष्ट है कि यह भूमि शासकीय थी जिस अनुसार ही वह अभिलेख में दिखाई जानी चाहिए थी.

प्रकरण में इस बात पर ध्यान दिया जाने की ज़रूरत है कि तहसील एवं अनु अधि न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं. प्रकरण के तथ्यों के सम्बन्ध में उभयपक्ष को विचरण एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय में अवसर दिया जाना चाहिए था जो उन्हें दिया गया. इसके बावजूद कथित पट्टे के सम्बन्ध कोई सक्षम प्रमाण या आदेश तह. या अनु अधि के समक्ष अनावेदक ने प्रस्तुत नहीं किया जिसे उन्होंने अपने आदेशों में भी लिखा है.

यह बिंदु भी विचारणीय है कि वाद भूमि राजमार्ग के निकट होकर मूल्यवान तथा सार्वजनिक उपयोग की है. ऐसी या किसी भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने की जानकारी और उस पर से अतिक्रमण हटाने का आवेदन कोई भी व्यक्ति दे सकता है क्योंकि शासन की भूमि से किसी भी व्यक्ति का हित सार्वजानिक हित के माध्यम से जुड़ा हो सकता है.

जहाँ तक तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन में धारा ११५ का लेख नहीं होने के बावजूद धारा ११५ में आदेश पारित करने का बिंदु है तो इस सम्बन्ध में संहिता की धारा ११५ में यह लिखा है कि यदि तहसीलदार को यह पाता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारियों ने अभिल्केहों में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि की है, तो वह उसमे आवश्यक परिवर्तन किये जाने के निर्देश दे सकेगा. इस धारा के अधीन तहसीलदार स्व-प्रेरणा से कार्य करता है, क्योंकि भू अभिलेख की गलत प्रविष्टि को सही कराने का दायित्व उसका है. अतः, मेरे मत में इस प्रकरण में तहसीलदार ने धारा ११५ में आदेश पारित करने में अपने क्षेत्राधिकार का कोई उल्लंघन नहीं किया है. अनावेदक अधिवक्ता का यह कहना कि धारा ११५ में आदेश पारित करने के

पूर्व अभिलेख की कौनसी त्रुटि को सुधारा जा रहा है इसका स्पष्टतः खुलासा तहसीलदार द्वारा किया जाना चाहिए था, के प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि तहसीलदार ने अपने निर्णय में इस सम्बन्ध में विवेचना करते हुए समुचित खुलासा किया है.

इस सबके अतिरिक्त शासकीय भूमि को सुरक्षित और अतिक्रमण से मुक्त रखने का दायित्व भी राजस्व अधिकारीयों का है. अतः, अपने आदेश दि २४-८-०५ में तहसीलदार द्वारा धारा २४८ में पटवारी से रिपोर्ट हेतु निर्देश लिखे जाने में भी कोई त्रुटि नहीं है.

अपर आयुक्त ने अपने आक्षेपित आदेश में उपरोक्त सभी बिन्दुओं को सही से नहीं पहचाना है. अतः उनके निष्कर्षों से मैं सहमत नहीं हूँ और उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ.

५] इस सब के अतिरिक्त मैं इस प्रकरण एक विशेष बिंदु पर टीका करना चाहता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि उसपर प्रदेश के राजस्व अधिकारी सुधारात्मक कार्यवाही करें.

इस प्रकरण के अभिलेख के अध्ययन में मुझे तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका पर उनकी हस्तलिपि में लिखे गए आदेश दि २४ एवं २५-८-०५ अत्यंत बुरी लिखावट में लिखे मिले जिन्हें पढ़ना अत्यंत कठिन है. यह सही नहीं है क्योंकि ये आदेश सार्वजानिक अभिलेख हैं और सम्बंधित पक्षकारों के अधिकार इनसे जुड़े होते हैं और वे इनके विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयों में भी जाते हैं.

अतः, मैं रा मं के सचिवालय को यह निर्देश देता हूँ कि वे प्रदेश शासन से इस बाबत निर्देश जारी करने का निवेदन करें और अपने कार्यालय से भी इस

बाबत निर्देश जारी करें कि प्रदेश के राजस्व अधिकारीयों द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश अनिवार्यतः स्पष्टतः लिखे या टंकित किये गए हों, और वे सुपठ्य और सुवाच्य हों.

६] उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं यह निगरानी स्वीकार करते हुए अपर आयुक्त, रीवा का आक्षेपित आदेश दि २२-९-०८ अपास्त करता हूँ और विचारण तथा प्रथम अपीलीय न्यायालयों के ऊपर लिखे जा चुके सम्बंधित आदेश बहाल करता हूँ.

आदेश पारित.

पक्षकार सूचित हों.

रा मं का सचिवालय पूर्ववर्ती पैर ५] की कार्यवाही हेतु सूचित हो.

अभिलेख वापस हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर